रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3701] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2018/भाद्र 23, 1940
No. 3701] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018/BHADRA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

का.आ. 4865(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग, रांची, जोकि झारखण्ड सरकार द्वारा गठित आयोग है, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(क) झारखण्ड राज्य सरकार से सहायता अनुदान;

(ख) याचिका शुल्क;

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत लाइसेंस धारक से लाइसेंस शुल्क;

(घ) आवेदन शुल्क;

(ङ) दस्तावेजों के लिए शुल्क;

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त शुल्क; और

(छ) उपर्युक्त (क) से (च) पर ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग, रांची,,'-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 51/2018/फा. सं. 300196/23/2018-आईटीए-I]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.